रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 287] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 18, 1986/अग्रहायण 27, 1908
No. 287] NEW DELHI, THURSDAY, DEC. 18, 1986/AGRAHAYANA 27, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 139-आई टी सी (पी एन)/85-88

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 1986

विषय:—आयात-निर्यात प्रक्रिया पुस्तिका, 1985-88

फाइल सं. 10/19/85-ई पी सी:—वाणिज्य मंत्रालय की यथा संशोधित सार्वजनिक सूचना सं. 2-आई टी सी (पी एन)/85-88 दिनांक 12 अप्रैल, 1985 के अधीन प्रकाशित आयात-निर्यात प्रक्रिया पुस्तिका, 1985-88 की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. उक्त पुस्तिका में निम्नलिखित संशोधित नोचे बताए गए अनुसार उपयुक्त स्थानों पर किए जाएंगे :—

क्र. सं.	आयात-निर्यात प्रक्रिया पुस्तिका, 1985-88 का पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधन
1	2	3	4
1	225	परिशिष्ट-14ङ अनुबन्ध-2	प्रपत्र के अन्त में उल्लिखित निम्नलिखित शब्दों को हटा दिया जाएगा:— "सीमा-शुल्क अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील"।

3. उपर्युक्त संशोधन सार्वजनिक हित में किए गए है।

राजीव लोचन मिश्र, मुख्य नियंत्रक, आया निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 139-ITC(PN)/85-88

New Delhi, the 18th December, 1986

Subject: Handbook of Import-Export Procedures, 1985-88.

File No. 10/19/85-EPC:—Attention is invited to the Handbook of Import-Export Procedures, 1985-88, Published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 2-ITC (Pn)/85-88 dated the 12th April, 1985, as amended.

2. The following amendments shall be made in the said Handbook at appropriate places indicated below:—

Sl. No.	Page No. of Handbook of Import-Export Procedures, 1985-88	Reference	Amendments
1	2	3	4
(1)	225	Appendix XIV-E Annexure-II	In the preforma, the following works, appearing at the end, shall be deleted:— "Signature and Seal of the Customs".

3. The above amendment has been made in Public interest.

R. L. MISRA, Chief Controller of Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 288] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 19, 1986/अग्रहायण 28, 1908
No. 288] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 19, 1986/AGRAHAYANA 28, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 1986

सार्वजनिक सूचना

सं. प्रतिअदायगी/सा.सू. 38/86

फा.सं. 600/2903/86-प्रति.अदायगी.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 52/फा.सं. 602/2/70-प्र.अ.) के नियम 4 के साथ पठित नियम 3 के अधीन, केन्द्रीय सरकार, इस मंत्रालय की दिनांक 31 मई, 1986 की प्रति अदायगी/सा.सू. 11/86, में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उपक्रमांक 2903 के अन्तर्गत "टिप्पणी" के लिए निम्नलिखित "टिप्पणी" प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"टिप्पणी" :—यदि संगत आयात और निर्यात नीति के परिशिष्ट 19 के द्वारा निर्यातक शुल्क छूट योजना की सुविधा का लाभ उठाता है और उसे उपरोक्त उपक्रम सं. 2903 (क) में यथा विनिर्दिष्ट चमड़े के उपरी हिस्सों के विनिर्माण में प्रयोग के लिए शुल्क मुक्त "जिपों" और/अथवा कृत्रिम पर लाइनिंग के आयात की अनुमति दी गयी है तो ऐसे चमड़े के उपरी हिस्सों पर निम्नलिखित दरों से अदायगी की अनुमति दी जाएगी :—

(i) यदि शुल्क छूट हकदारी प्रमाणपत्र के अन्तर्गत केवल "जिपें" आयात करने की अनुमति दी जाती है तो प्रतिअदायगी का, पोत पर्यन्त मूल्य के 6.5 % की दर से भुगतान किया जाएगा;

(ii) यदि शुल्क छूट हकदारी प्रमाणपत्र के अन्तर्गत केवल "कृत्रिम फर लाइनिंग" आयात करने की अनुमति दी जाती है तो प्रतिअदायगी का, पोत पर्यन्त मूल्य के 6 % की दर से भुगतान किया जाएगा;